

सहसात्र मुक्ताजाद

वर्ष: 4 अंक: 10-12 अक्टूबर-दिसम्बर 2002

बी डी चट्टोपाध्याय

एनसीईआरटी का
वस्तुपरक इतिहास

अर्जुन देव

सुप्रीम कोर्ट का
फैसला और उसके
बाद

अशरफ अजीज़

हिंदुस्तानी फिल्म
गायकी और
स्त्री-विमर्श



सहमत मुक्तनाद

वर्ष: 4 अंक : 10 - 12

अक्टूबर - दिसम्बर 2002

यह अंक 35 रु.

वार्षिक सदस्यता 150 रु.

संरक्षक मण्डल:

भीष्म साहनी

इरफान हबीब

सुवीरा जायसवाल

हबीब तनवीर

संपादक मण्डल:

के. एन. पणिकर

राजेन्द्र प्रसाद

अनिल चौधरी

राजेन्द्र शर्मा

शबनम हाशमी

संपादकीय व प्रबन्ध कार्यालय:

सहमत

8 विट्ठलभाई पटेल हाऊस

रफी मार्ग, नई दिल्ली - 110 001

फोन: 23711276, 23351424

आवरण चित्र: राम रहमान

संपादन और प्रकाशन पूर्णतः अवैतनिक
टिप्पणियों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं
जिनसे संपादक/प्रकाशक का सहमत होना
ज़रूरी नहीं है।

सारे भुगतान चैक या बैंक ड्राफ्ट से
सहमत के नाम से किए जाएं।

अनुक्रम

- 1 संपादकीय
अयोध्या से गुजरात: भारत को रौंद
रहा है फासीवाद का रथ
- 4 बाबरी मस्जिद का ध्वंस:
यह एक सोची-समझी साजिश थी
- 6 अखबारों ने कहा:
स्वतंत्र भारत का सबसे काला दिन
आडवाणी का विश्वासघात एक
नजर
- 10 श्रीकांत मिश्र
गोलवलकरवाद, उदारीकरण और
बाबरी मस्जिद का विध्वंस
- 14 जवरीमल्ल पारख
मीडिया पर हिंदुत्व हमले के दस
साल
- 18 अरविंद मोहन
भाजपाई मीडिया मैनेजमेंट
- 24 एम अशरफ अज़ीज़
हिंदुस्तानी फिल्म गायकी और
स्त्री-विमर्श
- 30 अर्जुन देव
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और
उसके बाद
- 36 कुमकुम राय
अब किधर जाएं हम!
- 42 सुमित सरकार
अध्यापक और छात्र इसका
क्या करें
- 45 बी डी चट्टोपाध्याय
यही है एनसीईआरटी का
“वास्तुपरक” इतिहास
- 48 प्रवीर पुरकायस्थ
नासा का हनुमान सेतु यानी एक
और संघी बौद्धिक घोटाला
- 51 सी पी चंद्रशेखर
निजीकरण और निजी पूंजी संचय
- 54 डेविड एडवर्ड्स
किस्सा एक खूब बड़े झूठ का
- 58 नॉम चाम्स्की
11 सितंबर: अमरीकियों ने क्या
सीखा है और क्या नहीं सीखा
- 60 जॉन पिल्ज़र
सामराजी मंसूबों पर चुप्पी टूट
रही है
- 62 राजेंद्र शर्मा
दुलीना: अनर्थ के अर्थ
- 65 सी पी आइ (एम), सी पी आइ,
जनवादी महिला समिति
प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट - दुलीना
में दलितविरोधी सामूहिक हत्याकांड
- 69 मोहन एम
गोरक्षा के नाम पर सांप्रदायिकता
की राजनीति
- 71 शबनम हाशमी
गुजरात: मगर क्या फिर कभी दिल
मिलेंगे?
- 74 राजेंद्र प्रसाद
तथ्यों की जुबानी
- 79 शिवकुमार मिश्र
सरदार कैसे-कैसे: दूसरे छोटे!!
- 82 रामसुजान अमर
अपना-अपना राष्ट्रवाद
- 85 कुसुमलता और सूरजदेव सिंह
मंदिर-मस्जिद विवाद और दंगों की
राजनीति
- 90 सुरेश नौटियाल
हिंदुत्व के असली मकसद और
चेहरे को उधेड़ती पुस्तक

अयोध्या से गुजरात: भारत को रौंद रहा है फासीवाद का रथ

यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य है कि गुजरात से बाकायदा 'हिंदू राष्ट्र' की यात्रा शुरू हो चुकी है। और यह मामला सिर्फ इस साल के शुरू में यहां हुए राज्यव्यापी तथा सत्ता द्वारा प्रायोजित अल्पसंख्यकविरोधी नरसंहार का ही नहीं है। इसे एक प्रतीक से बखूबी समझा जा सकता है। गुजरात संभवतः देश का ऐसा इक्लौता राज्य है जहां इस नरसंहार से पहले से जगह-जगह पर, "हिंदू राष्ट्र में स्वागत है" के होर्डिंग तथा बोर्ड लगे रहे थे। जैसे इन इलाकों को तो पहले ही, धर्मनिरपेक्ष संविधान तथा कानून से शासित भारत से काटकर अलग किया जा चुका था। मार्च-अप्रैल में नरेंद्र मोदी के राज में जो कुछ हुआ, एक तरह से भारत से काटे जा चुके इस इलाके का विस्तार किए जाने और गुजरात के बहुत बड़े हिस्से को इस तरह भारत से काटकर अलग किए जाने को ही दिखाता था। जाहिर है कि समझना जरूरी है कि भारत से काटकर अलग किए गए इस हिस्से का क्या बन रहा है? और यह भी कि इसका इस हिंदू राष्ट्र और उससे बाहर, समग्रता में भारत पर क्या असर पड़ रहा है?

गुजरात में जो भयावह सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उसकी विस्तृत जांच के बाद नागरिक ट्रिब्यूनल ने पिछले ही दिनों अपनी जो रिपोर्ट दी है, इन सवालों के जवाब ढूंढने में मददगार हो सकती है। बेशक, ऐसा नहीं है कि इस ट्रिब्यूनल ने भाजपा के शासन में गुजरात में हुए इस खून-खराबे के संबंध में कोई ऐसी एकदम नयी जानकारी दी हो, जो पहले से, विशेष रूप से मीडिया के जरिए, लोगों तक पहुंच न चुकी हो। इसके बावजूद, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्टों के तीन-तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त पुलिस उच्चाधिकारियों तथा जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विद्वानों के इस प्रतिष्ठित आठ सदस्यीय आयोग ने, विस्तृत व व्यवस्थित जांच के बाद जो निष्कर्ष निकाले हैं, गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी प्रकृति को ठीक-ठीक पहचानने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।

आयोग के तीन निष्कर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। पहला, यह एक नरसंहार था, जिसमें एक पूरा का पूरा समुदाय निशाने पर था और उसका सर्वनाश ही जिसका उद्देश्य था। दूसरा, यह एक राज्य प्रायोजित नरसंहार था, जिसमें गुजरात की नरेंद्र मोदी की सरकार से लेकर, केंद्र में उसकी सरकारस्त भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार तक की भूमिका प्रायोजक की थी। यानी ठनकी इस भूमिका के बिना, यह नरसंहार हो ही नहीं सकता था। तीसरा, यह

नरसंहार पूर्व-नियोजित था। गोधरा की घटना का बहाना न होता, तो कोई और बहाना बन जाता क्योंकि प्रायोजकों की नरसंहार की मांग थी और इस मांग के हिसाब से सारी की सारी तैयारियां पहले ही की जा चुकी थीं। इन तीनों निष्कर्षों को जोड़कर देखें तो इसकी शायद ठीक-ठाक साफ तस्वीर सामने आ जाती है कि आज हमारे देश का सामना किस परिघटना से हो रहा है? यह परिघटना, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता के अजगर के देश के बढ़ते हुए हिस्से को निगलने के साथ-साथ, उसके खुद ही ज्यादा से ज्यादा फासीवादी रूप लेते जाने की प्रक्रिया को भी दिखाती है। आज, बाबरी मस्जिद के बर्बर ध्वंस की दसवीं बरसी पर यह सब याद रखना विशेष रूप से जरूरी है। आखिर, बाबरी मस्जिद के ध्वंस के दसवें वर्ष में भाजपा के शासन में गुजरात में जो कुछ हुआ है, दस वर्ष पहले की उस जघन्यता से सीधे जुड़ा हुआ है। वास्तव में गुजरात का 2002 का मुसलमानों का कत्लेआम, अयोध्या में 1992 के 6 दिसंबर के हमले का ही तो विस्तार है बल्कि कहना चाहिए कि उसका अगला कदम है। इन दस वर्षों में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के लिए जिम्मेदार ताकतों ने जितने कदम बढ़ाए हैं, यह उसका पैमाना है। गुजरात का नरसंहार, बाबरी मस्जिद ध्वंस कांड का प्राप्ति फल है।

इस लिहाज से बाबरी मस्जिद के ध्वंस और गुजरात के अल्पसंख्यकविरोधी नरसंहार की समानताओं और अंतर, दोनों पर गौर करना उपयोगी रहेगा। और इसके साथ ही, इस बीच गुजरे दस वर्षों में जो हुआ है, उस पर भी। आखिर, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में क्या हुआ था? बेशक, मुख्य घटना चार सौ वर्ष से ज्यादा पुरानी, बाबरी मस्जिद को ढहा दिए जाने पर ही केंद्रित थी। लेकिन, यह तो उस काली तारीख में अयोध्या में जो हुआ था, उसका आंशिक ज्यौरा भर हुआ। अयोध्या की जघन्यता का वास्तविक अर्थ, इसके साथ जुड़े दूसरे अनेक तथ्यों से निर्धारित होता है। मसलन एक यही तथ्य कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना कोई आकस्मिक या भीड़ के अचानक उत्तेजित हो उठने से हुई घटना नहीं थी। यह घटना काफी लंबे अर्से से की जा रही तैयारियों का परिणाम थी। और इन लंबी तैयारियों के दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। पहला, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर बोला गया थावा, अस्सी के दशक के मध्य से लगातार जारी, उग्र से उग्रतर होते सांप्रदायिक अभियानों का उत्कर्ष था। याद रहे कि विश्व हिंदू परिषद के नाम पर ही सही, इस अभियान की शुरुआत